कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 268/आउशि/नि.का/2009/अकादमिक प्रको. भोपाल, दिनांक 13/3/09

प्रति,

1. **अतिरिक्त संचालक,**
   समस्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. **प्राचार्य,**
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।

विषयः–स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष के सेमेस्टर की पढ़ाई।

–:0:–

मेरे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि महाविद्यालयों में मुख्य परीक्षा के नाम पर सेमेस्टर की कक्षाओं को संचालित नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रथम वर्ष के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने एवं शिक्षा में व्यावधान तथा उपस्थिति पूर्ण न होने की आशंका उत्पन्न हुई है।

मैं पहले भी आपसे यह आगृह कर चुका हूँ कि किसी भी हालत में सेमेस्टर की कक्षाएं न रोकी जाएं। कतिपय प्राचार्यों के अनुसार उनके महाविद्यालय में परीक्षा के संचालन के कारण पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने से द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य शासन के द्वारा परीक्षा के लिए जनरेटर किराये पर लेने की अनुमति दे दी गयी है एवं इसी प्रकार विश्वविद्यालयों से चर्चा करने पर उनके द्वारा परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए किराये पर टेण्ट एवं कुर्सी लेकर परीक्षाओं को सम्पन्न करवाने के लिए सहमति व्यक्त की है।

अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि यदि आपके केन्द्र से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो परीक्षार्थियों के लिए टेण्ट एवं कुर्सी की किराये पर व्यवस्था कर कम से कम एक या दो कक्ष सेमेस्टर पद्धती के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किये जाएं एवं प्रथम सेमेस्टर के भांति पूर्ववत उनकी उपस्थिति लेकर पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाए।

यदि इसके बाद भी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं होती है तो ऐसी दशा में अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन कर द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम अनिवार्यतः पूर्ण कराया जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र इस परीक्षा के बाद विभिन्न संस्थानों में इंटर्नशिप के लिए जायेंगे तथा यदि उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं हुआ तो समाज से महाविद्यालयों के स्तर पर उंगलियॉं उठने की आशंका रहेगी। अतः यह निवेदन है कि कृपया हर–हाल में सेमेस्टर कक्षाओं को प्रारंभ करें तथा तैयार की गयी समयश्रेणी की एक प्रतिलिपि संचालनालय, कलेक्टर एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को भी दी जाए जिससे रेण्डम पद्धती से इसकी जांच की जा सके।

यह भी ज्ञात हुआ है कि कतिपय महाविद्यालयों में स्पष्ट निर्देश देने के बाद भी अभी आय–व्यय का विवरण एवं समय–तालिका जनभागीदारी सदस्यों को प्रदाय नहीं की जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस पत्र की प्रतिलिपि के साथ समय–तालिका संलग्न कर जनभागीदारी के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर से तामीली बाद क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालयों को भेजेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसकी जांच की जा सके। आशा है कि आप अपनी कड़ी मेहनत से द्वितीय सेमेस्टर के बच्चों के भविष्य को सुधारने में सक्षम होंगे।

Ashish

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश